

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश

मोतोमहल: ग्वालियर

दृष्टिकोण

101

क्रमांक/रसायन शाला./181

ग्वालियर, दिनांक 6.9.96

ति,

1. सम्स्त उपायुक्त आबकारी म.प्र.
2. सम्स्त जिला आबकारी अधिकारी म.प्र.
3. प्रभारो अधिकारी आबकारी आसन्नो/बॉटलिंग इकाई

वषय:- विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाईयो में निर्मित विदेशी मदिरा की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना ।

दर्भ:- इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक/रसायन शाला./मुख्या./110 दिनांक 12.7.96

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की कंडिका 3 की उप कंडिका 1118 में विदेशी मदिरा हेतु निम्न specifications भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित थे, - द्वांरि गए हैं -

(1)	IS:4449:1980	Specification for Whisky
(2)	IS:4450:1978	-do- Brandy
(3)	IS:4100:1967	-do- Gin
(4)	IS:3811:1976	-do- Rum

- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उक्त Specifications का revision नरोधन किया गया है । अतः उक्त specifications के स्थान पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा revision पश्चात् निर्धारित मानक अनुसार विदेशी मदिरा व्हिस्की, ब्रांडो, जिन तथा रम की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये । भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा व्हिस्की, ब्रांडो, जिन तथा रम के लिए revision पश्चात् जारी मानक नम्नानुसार है:-

(1)	IS:4449:1988	Indian Standard	Whiskies specification
(2)	IS:4450:1988	-do-	(Third Revision)
(3)	IS:4100:1988	-do-	Brandies specification
(4)	IS:3811:1988	-do-	(Second Revision)
			Gin Specification
			(First Revision)
			Rum specification
			(Second Revision)

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश